न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 10/2018 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा **– प्रार्थी**	**बनाम**	1. श्री विजय सिंह पुत्र रोशन सिंह कोठारी विकेता/मालिक, मैसर्स जैन बीकानेरी हाऊस, रेल्वे स्टेशन के सामने, भीलवाडा 2. श्री संजय पुत्र नंद लाल महावर निदेशक, मैसर्स कालूराम बस्तीराम माली प्रा.लि. जी–40, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, विजय नगर अजमेर 3. श्री मनीष पुत्र नंदलाल महावर निदेशक, मैसर्स कालूराम बस्तीराम माली प्रा.लि. जी–40, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, विजय नगर अजमेर 4. मैसर्स कालूराम बस्तीराम माली प्रा.लि. जी–40, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, विजय नगर अजमेर **––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 26.07.2018

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी श्री विजय सिंह पुत्र रोशन सिंह कोठारी विकेता/मालिक, मैसर्स जैन बीकानेरी हाऊस, रेल्वे स्टेशन के सामने, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु रसगुल्ला (पैक्ड) इत्यादि का विक्रय कर रहा था । विजय सिंह पुत्र रोशन सिंह कोठारी विक्रेता/मालिक, मैसर्स जैन बीकानेरी हाऊस, रेल्वे स्टेशन के सामने, भीलवाडा का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता

को विक्रय बाबत् रसगुल्ला (पैक्ड) ब्राण्ड के बी एम के 1 किलो के कुल 20 डिब्बे रखे हुये थे। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 **ए** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.10.2017 को समय 12.30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु विजय सिंह पुत्र रोशन सिंह कोठारी विकेता/मालिक, मैसर्स जैन बीकानेरी हाऊस, रेल्वे स्टेशन के सामने, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया। उस समय दुकान पर खाद्य विकेता/मैनेजर की हैसियत श्री विजय सिंह पुत्र रोशन सिंह कोठारी विकेता/मालिक, मैसर्स जैन बीकानेरी हाऊस, रेल्वे स्टेशन के सामने, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु रसगुल्ला (पैक्ड) इत्यादि का विक्रय कर रहा था। विकेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विकेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र होना बताया।

मौके पर गवाह एवं विकेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (पैक्ड) के 4 पैकेट खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 640/– रूपये अक्षरे छः सौ चालीस रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा 4 पैक्ड पैकेटों को गवाहों एवं विकेता के सामने चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–381 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–381 जो अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मैनेजर श्री विजय सिंह पुत्र रोशन

सिंह कोठारी के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यवाही गवाहों व विकेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विकेता को लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 381 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैनें नमूना लेते समय काम मे ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री बाबूलाल पायक, च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला , अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./653/FSSA/2017/652 दिनांक 23.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 381 रसगुल्ला (पैक्ड) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री विजय सिंह पुत्र रोशन सिंह कोठारी विक्रेता/मालिक, मैसर्स जैन बीकानेरी हाऊस, रेल्वे स्टेशन के सामने, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड रसगुल्ला (पैक्ड) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 12.07.2018 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि रसगुल्ला (पैक्ड) नमूना एक्स–381 List of Ingredients – Milk

solid, Sugar, Water Contents permitted food colour. Not listed in decending order of their composition and the specific name or recognized international numerical identification of permitted food colour used in the product not mentioned on the lable of sample. विकेता फर्म ने Food Sefety and Standarded (Packaging & Labelling) Regulatiojn, 2011 के रूल्स 2.2.2.2(b), 2.2.2(5) का उल्लघंन किया है इस प्रकार विपक्षी द्वारा **Food Safety and standards** (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड रसगुल्ला (पैक्ड) का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी की ओर से श्री संजय महावर एवं श्री मनीष महावर ने अपने जवाब मे बताया कि राज्य सरकार द्वारा करायी गयी लैब जांच की रिपोर्ट के अनुसार हमारे उत्पादन की गुणवत्ता एफएसएसए के मानक स्तर पर पाई गयी हैं, किन्तु उपर के पैकिंग आवरण में हुई गलती के कारण उक्त नमूना मिसब्राण्डेड में दोषी पाया गया हैं, जो कि एक मानवीय त्रुटि हैं, जो कि फैक्ट्री में कार्यरत किसी मजदूर की गलती से हुई है। चूंकि उक्त उत्पाद हमारी फर्म का है और विपक्षी संजय एवं मनीष उक्त फर्म के निदेशक हैं। अतः फैक्ट्री मजदूर से हुयी इस गलती के लिये हम इसकी जिम्मेदारी लेते हुये व्यक्तिगत रूप से क्षमाप्रार्थी है। निवेदन हैं कि उक्त परिवाद में न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करते हुए उक्त परिवाद को संचित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./653/FSSA/2017/652 दिनांक 23.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स –381 रसगुल्ला (पैक्ड) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि रसगुल्ला (पैक्ड) नमूना एक्स–381 List of Ingredients – Milk solid, Sugar, Water Contents permitted food colour. Not listed in decending order of their composition and the specific name or recognized international numerical identification of permitted food colour used in the product not mentioned on the lable of sample. विकेता फर्म ने Food Sefety and Standarded (Packaging & Labelling) Regulatiojn, 2011 के रूल्स 2.2.2.2(b), 2.2.2(5) का उल्लघंन किया है इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and standards (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड रसगुल्ला (पैक्ड) का**

विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा मिसब्राण्डेड रसगुल्ला (पैक्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनिमय 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन है। विपक्षी सं. 01 द्वारा विपक्षी सं. 02 व 03 से पैक्ड माल खरीदकर पैक्ड ही विक्रय करना बताया हैं एवं इस हेतु बिल की प्रति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्येनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। विपक्षी सं. 01 द्वारा पैक्ड माल के बिल प्रस्तुत करने से एवं पैक्ड माल ही विक्रय करने से विपक्षी सं. 01 पर खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत कार्यवाही से मुक्त रखा जाता है। न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी सं. 02 व 03 द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 02 पर 10,000/–रूपये (अक्षरे दसव हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 03 पर 10,000/–रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 02 व 03 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

26/7/18

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री विजय सिंह पुत्र रोशन सिंह कोठारी विक्रेता/मालिक, मैसर्स जैन बीकानेरी हाऊस, रेल्वे स्टेशन के सामने, भीलवाडा
5 श्री संजय पुत्र नंद लाल महावर निदेशक, मैसर्स कालूराम बस्तीराम माली प्रा.लि. जी– 40, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, विजय नगर अजमेर को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
6 श्री मनीष पुत्र नंदलाल महावर निदेशक, मैसर्स कालूराम बस्तीराम माली प्रा.लि. जी– 40, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, विजय नगर अजमेर को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

26/7/18

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)